

## तृतीय अनुपूरक अनुमान 2020-21 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
96	अग्निपीडितों को राहत	100000000
502	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	20000000
1480	जिला प्रभार	100 *
2018	नगद दान	220000000
2413	निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	2060000000
2514	परिवार पेंशनें	1750000000
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	220000000
4151	वृहद पुलों का निर्माण	100 *
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (१))	100 *
5607	बाढ़ बचाव	10000000
6456	तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	100 *
6540	चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन	100 *
6818	स्वान परियोजना	100 *
7276	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	100 *
7352	शोकार्त परिवारो को सहायक अनुदान	30000000
7357	बाढ़ अनुदान आदि में सहायता	100000000
7408	राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण	240000000
7729	डुबने से, खदान धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	300000000

**योग**

**5050000700**

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1